HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8313/2026
CNR: RJHC010593932026 | URN: CRLMB / 18089U / 2026

Nanuram Alias Sahab Ram Alias Shiva S/o Kalu Ram Nayak, Aged About 28 Years, Chak 16 Bld P.S. Ramsinghpur, Tehsil And District Sri Ganganagar (Raj.) (Presently Lodged In Central Jail, Sriganganagar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Tania Chugh
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

24/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **कोतवाली श्रीगंगानगर,** जिला **श्रीगंगानगर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **33/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **318(4), 178, 179, 180 व 182(1) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। सह–अभियुक्तगण दीपक आयार्च व निखिल कटारिया की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.09.2025 को ली जा चुकी है। प्रार्थी–अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। इस मामले में पूर्व में दो मुलजिमान की जमानत इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **नानूराम उर्फ साहबराम उर्फ शिवा पुत्र कालूराम नायक** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

66/Divyashri Maru/677